मध्यप्रदेश शासन

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक- 3068/एस.ओ./बी-16/2018 भोपाल, दिनांक 17.3.2018

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः-असंगठित कर्मकारों के पंजीयन हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से 15 मई, 2018 तक प्रदेश व्यापी अभियान के संबंध में दिशा निर्देश।

दिनांक 13.3.2018 को आयोजित वीडियो कांफ्रेंस का स्मरण करें, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24.2.2018 को पनागर, जबलपुर में आयोजित असंगठित कर्मकारों के सम्मेलन में असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु किये गये घोषणाओं का लाभ शीघ्रातिशीघ्र असंगठित कर्मकारों को पहुंचाने के उददेश्य से दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से 15 मई, 2018 तक प्रदेश के असंगठित कर्मकारों के पंजीयन हेतु प्रदेश-व्यापी अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देश के अनुपालन में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुरोध है-

1. प्रदेश में असंगठित कर्मकारों के पंजीयन हेतु यह अभियान दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से 15 मई, 2018 तक चलाया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत असंगठित कर्मकारों के पंजीयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नोडल विभाग होगा तथा शहरी क्षेत्रों में निवासरत असंगठित कर्मकारों के पंजीयन हेतु नगरीय विकास एवं आवास विभाग नोडल विभाग होगा ।
2. अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक या एक से अधिक गॉवों तथा शहरी क्षेत्रों में एक या एक से अधिक वार्डो हेतु उपयुक्त स्थान का चयन कर पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय पर शिविर आयोजित किये जायेंगे, जिनमें समस्त

जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जायेगा । असंगठित कर्मकारों का चिन्हांकन कर उन्हें चयनित स्थान पर प्रेरित कर पंजीयन हेतु लाने एवं पंजीयन हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का होगा । इस हेतु संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय को प्रति पंजीयन रूपए 5/- की राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

3. उपरोक्तानुसार आयोजित किये जाने वाले शिविरों के सफल संचालन हेतु कलेक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें भी ली जा सकेंगी। कलेक्टर द्वारा अभियान के तहत आयोजित हो रहे शिविरों एवं उनके तहत चिन्हित किये जा रहे असंगठित कर्मकारों के पंजीयन की प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन की जायेगी एवं जहाँ कहीं भी कोई कमी परिलक्षित होती है, वहाँ तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा, ताकि अभियान की समाप्ति के पश्चात प्रदेश में कोई भी पात्र असंगठित कर्मकार पंजीयन से वंचित न रह सके।

4. असंगठित कर्मकारों से पंजीयन हेतु प्राप्त किये जाने वाले आवेदन का प्रारूप **परिशिष्ट -एक** के रूप में संलग्न है। इसकी आवश्यकतानुसार प्रतियां छपवा कर शिविर के दौरान उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का होगा। शिविर में चिन्हित असंगठित कर्मकारों से आवेदन भरवा कर उन्हें जमा कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का दायित्व भी संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का होगा। चिन्हित असंगठित कर्मकारों को आवेदन भरने एवं जमा करने में अनावश्यक परेशानी न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए एवं इस हेतु पर्याप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए ।

5. असंगठित कर्मकारों के पंजीयन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। इस हेतु एन.आई.सी. द्वारा आवश्यक पोर्टल एवं मोबाईल एप्प विकसित किये गये हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी पृथक से जारी की जा रही है । समस्त कलेक्टर जिले के एन.आई.सी. अधिकारियों के माध्यम से उक्त पोर्टल एवं मोबाईल एप्प के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिलाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. असंगठित कर्मकारों के पंजीयन हेतु समग्र डेटाबेस को आधार बनाने का निर्णय लिया गया है। अत: एन.आई.सी. द्वारा विकसित पोर्टल एवं मोबाईल एप्प में पूर्व से ही समग्र डेटाबेस में उपलब्ध संबंधित गॉव/वार्ड के समस्त् परिवारों की जानकारी डाउनलोड की जा सकेगी ताकि शिविर स्थल पर इंटरनेट की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में भी पूरी कार्यवाही निर्बाध रूप से संपादित हो सके। ग्राम पंचायत सचिवों एवं वार्ड प्रभारियों को समग्र पोर्टल हेतु पूर्व से उपलब्ध कराये गये लॉगइन आई.डी. एवं पासवर्ड एन.आई.सी. द्वारा विकसित इस पोर्टल/मोबाईल एप्प हेतु भी उपयोग किये जा सकेंगे।

7. असंगठित कर्मकार से प्राप्त आवेदन में अंकित समग्र नंबर को उक्त पोर्टल/मोबाईल एप्प में फीड किये जाने पर आवेदक के समग्र डेटाबेस में अंकित परिवार की पूर्ण जानकारी प्रदर्शित हो जायेगी, जिसे आवेदन में दिये गये विवरणों से मिलान किया जा सकता है । तत्पश्चात आवेदन में उल्लेखित नियोजन की श्रेणी का परीक्षण कर उसे पात्र श्रेणी का पाये जाने की स्थिति में उसकी जानकारी एन.आई.सी. द्वारा विकसित पोर्टल/मोबाईल एप्प के माध्यम से अपलोड किया जाना होगा। शिविर में अत्यधिक भीड. होने की स्थिति में आवेदन में दी गई जानकारी की पुष्टि शिविर के दौरान समस्त जनप्रतिनिधियों के समक्ष कराकर पोर्टल/मोबाईल एप्प के माध्यम से अपलोड करने की कार्यवाही शिविर के पश्चात भी की जा सकती है। पोर्टल/मोबाईल एप्प में नियोजन संबंधी जानकारी अपलोड करने में सुविधा की दृष्टि से असंगठित कर्मकारों की समस्त श्रेणियों को पोर्टल/मोबाईल एप्प के **"नियोजन/व्यवसाय"** फील्ड के अंतर्गत ड्राप डाउन के रूप में शामिल किया गया है। शिविर में प्राप्त समस्त् आवेदनों को पोर्टल/मोबाईल एप्प के माध्यम से अपलोड करने के पश्चात प्राप्त आवेदन की मूल प्रति संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

8. शिविर के दौरान प्राप्त आवेदनों के पोर्टल/मोबाईल एप्प के माध्यम से अपलोड करते ही ये आवेदन संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के मुख्य

कार्यपालन अधिकारी, जो इन आवेदनों के पंजीयन हेतु पदाभिहित अधिकारी अधिसूचित किये गये हैं, के डैशबोर्ड पर पंजीयन हेतु लंबित दिखने लगेंगे । पदाभिहित अधिकारियों द्वारा उनके डैशबोर्ड पर प्रदर्शित हो रहे आवेदनों का, उनके मूल आवेदनों के साथ, परीक्षण करते हुए आवेदन स्वीकृति योग्य पाये जाने की स्थिति में पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाईन पंजीयन करने की कार्यवाही की जायेगी । समस्त पदाभिहित अधिकारियों को पूर्व से ही समग्र पोर्टल हेतु उपलब्ध कराये गये लॉगइन एवं पासवर्ड इस हेतु भी उपयोग किये जा सकेंगे।

9. पोर्टल पर जैसे ही पदाभिहित अधिकारी द्वारा चिन्हित असंगठित कर्मकार के आवेदन को स्वीकृत करते हुए पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी, एक एस.एम.एस. एवं वॉयस मैसेज तत्काल उक्त कर्मकार के मोबाईल पर प्रेषित हो जायेगी, जिसमें उस कर्मकार के पंजीयन की समस्त् जानकारी होगी। इसके अलावा पंजीकृत कर्मकार द्वारा जब चाहे समग्र नंबर का उपयोग कर अपने पंजीयन की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु उसे असंगठित कर्मकार पंजीयन क्रमांक आदि याद रखने की अलग से आवश्यकता नहीं होगी ।

समस्त कलेक्टरों से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए अपने अपने जिले के समस्त पात्र असंगठित कर्मकारों का पंजीयन 15 मई, 2018 तक कराया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(अश्विनी कुमार राय)
प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन
श्रम विभाग

क्रमांक- 3069/एस.ओ./बी-16/2018 भोपाल, दिनांक 17.3.2018

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल
2. मुख्य सचिव के उप सचिव/स्टाफ ऑफिसर, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
5. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, भोपाल
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश प्रदेश- अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा अपने स्तर पर करते हुए इसे सफल बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध है।
8. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर
9. सचिव, म.प्र.असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल

10 विभागीय रिकार्ड फाईल ।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, श्रम विभाग